KWAME RAOUL
ILLINOIS ATTORNEY GENERAL

इलिनॉय अटॉर्नी जनरल - घृणा अपराध तथ्य पत्रक

घृणा अपराध क्या है?

घृणा अपराध एक ऐसा अपराध है जहां किसी व्यक्ति या लोगों के समूह को उनकी वास्तविक या कथित पहचान के कारण घृणा का निशाना बनाया जाता है। इलिनॉय घृणा अपराध कानून उन लोगों की रक्षा करते हैं जिन्हें नस्ल, रंग, धर्म, लिंग, यौन अभिमुखता, आप्रवासन या नागरिकता स्टेटस और शारीरिक या मानसिक अक्षमता जैसे गुणों के आधार पर घृणा का शिकार बनाया जाता है।

क्या घृणा अपराधों के कुछ उदाहरण देंगे?

इलिनॉय कानून के तहत, निम्नलिखित में से कोई भी घृणा अपराध हो सकता है यदि वह किसी की वास्तविक या कथित जाति, रंग, मूल राष्ट्रीयता, पंथ, धर्म, वंश, लिंग, यौन अभिमुखता, आप्रवासन या नागरिकता स्टेटस और शारीरिक या मानसिक अक्षमता से प्रेरित हो:

- हमला या आक्रमण
- चोरी
- डराना धमकाना
- पीछा करना या साइबर प्लेटफॉर्म पर पीछा करके परेशान करना
- टेलीफोन, ईमेल, या सोशल मीडिया द्वारा उत्पीड़न, या फोन द्वारा अश्लील संदेश भेजना
- संपत्ति पर घुसपैठ करना या नुकसान पहुंचाना
- उच्छृंखल आचरण या भीड़ लगाकर डराना

अगर मुझे इस बात का विश्वास है कि मैंने घृणा अपराध का अनुभव किया है या देखा है (प्रत्यक्ष देखा) तो मैं किससे संपर्क कर सकता हूं?

कानून प्रवर्तन:

- 911 या अपने स्थानीय पुलिस विभाग से संपर्क करें और पुलिस में शिकायत दर्ज करें।
- उन्हें विशेष रूप से बताएं कि आपको लगता है कि यह एक घृणा अपराध था। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, तो उन्हें बताएं कि आपको किस कारण से ऐसा विश्वास हुआ कि यह घृणा से प्रेरित था।
- कुछ कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास घृणा जनित अपराधों की छान-बीन के लिए विशेष यूनिट्स हैं, जैसे:
    - कुक काउंटी शेरिफ्स डिस्क्रिमिनेशन हॉटलाइन (773-674-HELP या 773-674-4357 पर कॉल करें)

इलिनॉय अटॉर्नी जनरल:

- इलिनॉय अटॉर्नी शायद जनरल घृणा अपराध करने वाले व्यक्ति के खिलाफ राज्य की ओर से दीवानी मुकदमा दायर किया जाए।

- घृणा से प्रेरित घटनाओं या भेदभाव की रिपोर्ट करने के लिए, इलिनॉय अटॉर्नी जनरल की नागरिक अधिकार हॉटलाइन से 877-581-3692 पर संपर्क करें। अनुवाद सेवाएं उपलब्ध हैं।

किसी ऐसे व्यक्ति के लिए क्या सहायता उपलब्ध है जिसने घृणा-प्रेरित अपराध का अनुभव किया है?

घृणा अपराध पीड़ितों के लिए सेवाएं:

- शिकागो के निवासी सिटी ऑफ़ शिकागो कमिशन ऑन ह्यूमन रिलेशंस (CCHR) - हेट क्राइम विक्टिम असिस्टेंस नंबर 312-744-4874 पर कॉल कर सकते हैं।

  CCHR घृणा अपराध पीड़ितों के लिए सहायता, समर्थन और रेफरल प्रदान करता है, जिसमें पुलिस को रिपोर्ट लिखने में सहायता करना और अदालती सुनवाई में साथ जाना शामिल है।

- इलिनॉय अटॉर्नी जनरल के कार्यालय का अपराध पीड़ित मुआवजा कार्यक्रम घृणा अपराधों सहित अपराधों के कुछ पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है।

  आप 800-228-3368 पर हेल्पलाइन पर कॉल करके वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं या www.IllinoisAttorneyGeneral.gov/cvcapply पर ऑनलाइन फॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं

क्या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध है जिसे घृणा अपराध का शिकार बनाया गया हो?

व्यक्तिगत कानूनी सहायता:

- यदि आप घृणा अपराध के शिकार हुए हैं, तो आपको अपराध करने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर करने का अधिकार है।
- आप इलिनॉय स्टेट बार एसोसिएशन के माध्यम से 800-922-8757 पर कॉल करके या https://www.isba.org/public/illinoislawyerfinder पर जाकर वकील ढूंढ सकते हैं।
- अगर आप वकील का खर्चा नहीं उठा सकते, तो आप अटॉर्नी जनरल की वेबसाइट पर कुछ कानूनी सहायता के संसाधन पा सकते हैं: https://illinoisattorneygeneral.gov/about/probono.html

अधिक जानकारी के लिए इलिनॉय अटॉर्नी जनरल के नागरिक अधिकार ब्यूरो से 877-581-3692 पर संपर्क करें। अनुवाद सेवाएं उपलब्ध हैं। सुनने या बोलने में अक्षमताओं वाले व्यक्ति 7-1-1 रिले सेवा का उपयोग करके हम तक पहुंच सकते हैं। सुनने या बोलने में अक्षमता वाले व्यक्ति 7-1-1 रिले सेवा का उपयोग करके हम तक पहुंच सकते हैं।

इलिनॉय अटॉर्नी जनरल

शिकागो	**स्प्रिंगफील्ड**	**कार्बनडेल**
312-814-3000	217-782-1090	618-529-6400

www.IllinoisAttorneyGeneral.gov